म0प्र0राज्य सूचना आयोग, भोपाल

अपील क्र0 ए–43/रासूआ/13–1/भोपाल/2006

श्री पंकज गजभिये अपीलकर्ता
आई–81/7, साउथ टी0टी0गनर,
भोपाल

विरूद्ध

लोक सूचना अधिकारी,
म0प्र0शासन,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
भोपाल

आदेश

(दिनांक 7 अप्रेल 2006)

श्री पंकज गजभिये (अपीलकर्ता) ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम) की धारा 19(3) के अंतर्गत प्रस्तुत की है । इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने एक आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल को दी थी, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी :

(अ) म0प्र0शासन, द्वारा म0प्र0राज्य आयोग तथा जिला फोरम में सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है उसके क्या प्रावधान है तथा जिसे सदस्य नियुक्त किया जाता है, उसके संबंध में जानकारी कैसे प्राप्त होती है ।

(ब) राज्य शासन द्वारा राज्य आयोग में नियुक्त सदस्य श्रीमती प्रमिला एस0 कुमार तथा जिला फोरम भोपाल में सदस्य के रूप में नियुक्त श्रीमती नीरजा सिंह तथा श्रीमती मोना त्रिवेदी के नियुक्ति संबंधी नियुक्ति आदेश चयन समिति की अनुशंसा एवं इससे संबंधित सभी नोटशीट की सत्यापित प्रतिलिपि ।

(स) क्या उपरोक्त तीनों सदस्य को जब नियुक्त किया गया था तब उनके नजदीकी रिश्तेदार भाई, बहन, पति तथा नजदीकी संबंधी उस समय जब इन्हें नियुक्त

किया गया उस समय मंत्रि–मण्डल के सदस्य, सचिव, प्रमुख सचिव/मुख्य सचिव (भारतीय प्रशासनिक सेवाएं) के रूप में कार्यरत थे, यदि हॉ तो पूर्ण विवरण दें ।

(द) उपरोक्त तीनों सदस्यों की नियुक्ति का आधार क्या रहा है और चयन समिति ने अन्य व्यक्तियों की तुलना में इन्हें योग्य उम्मीदवार किस आधार पर माना है, इसका विवरण ।

(इ) क्या सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्य आयोग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ।

(ई) यदि हां तो उपरोक्त तीनों सदस्यों के आवेदन आमंत्रित करने के लिए किस समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया उसका विवरण और यदि नहीं दिया गया तो एक ही राज्य में एक ही पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए दो तरह की प्रक्रिया कैसे अपनाई जा रही है ।

(उ) क्या इन सदस्यों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना में इनके नाम के अतिरिक्त इनका और कोई विवरण दर्ज है अथवा नहीं । यदि नहीं तो अधिसूचना/आदेश की प्रति इन्हें कैसे पहुॅचाई गई और इनका विवरण क्यों नहीं दर्ज किया गया, कारण स्पष्ट करें ।

(ऊ) वर्तमान में राज्य आयोग में सदस्य के कितने पद रिक्त हैं । सदस्यों की नियुक्ति के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इसकी नियुक्ति हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है तथा कब तक नियुक्ति की जायेगी उसका विवरण दें।

2. अपीलकर्ता को 30 दिन के अंदर जानकारी नहीं मिलने पर अपीलकर्ता ने एक अपील प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के समक्ष दिनांक 30.11.2005 को प्रस्तुत की थी । अपीलकर्ता का कहना है कि 2 महीने बीत जाने के उपरांत भी उनकी अपील का निराकरण नहीं हुआ है, इसलिए उसने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से अपील के बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा गया था । लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव का यह कहना है कि अपीलकर्ता का आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2005 को प्राप्त हुआ था । अपील में केवल एक ही बिन्दु विभाग से संबंधित था, शेष बिन्दु म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल(आयोग) से संबंधित थे, इसलिए अपीलकर्ता का आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2005 को फोरम में भेज दिया गया था और इसकी जानकारी अपीलकर्ता को भी पत्र के द्वारा दे दी गयी थी । जिस विषय में जानकारी विभाग के द्वारा दी जाना थी, वह अपीलकर्ता को दिनांक 23.11.2005 को भेज दी गई है ।

4. यह प्रकरण दिनांक 7.4.2006 को मौखिक सुनवाई के लिए रखा गया था, जिसके लिए अपीलकर्ता को नोटिस भी भेजा गया था । अपीलकर्ता की ओर से श्री बी0एस0शर्मा, पॉवर ऑफ एटार्नी के साथ उपस्थित हुए और उन्होंने इस प्रकरण में अपीलकर्ता की ओर से पैरवी करने के लिए अनुमति मांगी थी । उन्हें अपीलकर्ता की ओर से पैरवी करने के लिए अनुमति नहीं दी गई । श्री बी0एस0शर्मा, कई प्रकरणों में, कई विभिन्न पक्षों की ओर से पॉवर ऑफ एटार्नी के आधार पर पैरवी करने के लिए अनुमति मांगते आए हैं । इससे स्पष्ट होता है कि वे सामान्य नागरिक एवं राज्य सूचना आयोग के बीच मध्यस्थ के रूप में अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं । इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान किए गए है जिससे किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए कोई भी नागरिक संबंधित लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी एवं राज्य सूचना आयोग से, जैसे आवश्यक हो, सीधे सम्पर्क कर सकता है । यदि वह स्वयं आने में असमर्थ है तो डाक से भी आवेदन भेज सकता है । इस प्रकार की व्यवस्था से जानकारी मिलने में कम समय लगता है और विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होती है । इस अधिनियम का यह उद्देश्य नहीं है कि अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए मध्यस्थ व्यक्ति को किसी प्रकार की भूमिका दी जाए । वैसे भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वे किसी सम्पत्ति या स्वत्व से संबंध नहीं रखती हैं । यदि किसी कारण से अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं तो भी उसके आवेदन पत्र पर वैधानिक दृष्टि से विचार किया जाता है और जब तक अधिनियम में कोई प्रतिबंध नहीं हो, सूचना देने की कार्यवाही की जाती है और सूचना दी जाती है । इस तरह इस प्रकार के प्रकरण में किसी मध्यस्थ या मुख्यतयारनामे के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी देने के लिए अनुमति दी जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ ।

5. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी श्री ए0के0जैन स्वयं उपस्थित हुए और उनके साथ श्री एस0के0पालो, रजिस्ट्रार, म0प्र0राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भी उपस्थित हुए । इन दोनों को सुना गया और इन प्रकरणों से संबंधित फाईलों का अवलोकन भी किया गया, जो वह साथ लाये थे । रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का आवेदन पत्र रजिस्ट्रार म0प्र0राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग को दिनांक 19.10.2005 को भेजा गया था, जो उन्हें प्राप्त हुआ है । इसकी प्रति आवेदक को भी सूचनार्थ दी गई है । रजिस्ट्रार को पुनः दिनांक 28.10.2005 स्पष्टतः पत्र भेजा गया था । इसके अतिरिक्त आवेदक को दिनांक 11.11.05 को यह पत्र भेजा गया था कि आवेदन के पैरा 5 (बी) में मांगी गयी जानकारी निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं । शेष जानकारी उन्हें आयोग से मिलेगी । क्या शुल्क निर्धारित किया गया, उसकी जानकारी आवेदक को नहीं दी गयी ।

6. पत्र प्राप्त होने के बाद रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत जानकारी देने की कार्यवाही करनी थी । उन्हें आवेदक को यह सूचना देनी चाहिए थी कि मांगी गई जानकारी तैयार करने के लिए कितना शुल्क जमा करना आवश्यक है ।

लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही न करते हुए इसे प्रशासनिक पत्र समझकर आवेदक के आवेदन पर कंडिकावार उत्तर प्रमुख सचिव को भेज दिया । जिस विषय पर लोक सूचना अधिकारी को कार्यवाही करनी थी, उस पर जानकारी आवेदक को दिनांक 23. 11.05 भेज दी गयी । इस प्रकरण में नियमानुसार रजिस्ट्रार को चाहिये था कि वह जानकारी आवेदक को भेजे और इसकी सूचना लोक सूचना अधिकारी को प्रदाय करे ।

7. इस प्रकरण में इस प्रकार की स्थिति दो कारणों से निर्मित हुई है । आवेदक को चाहिये था कि वह उसी कार्यालय में आवेदन पत्र दे, जहॉ पर जानकारी उपलब्ध होती है । उपभोक्ता प्रतितोषण अधिनियम के अनुसार यह जानकारी आयोग से संबंधित थी और उसे आयोग को आवेदन देना चाहिये था। उसने आयोग को आवेदन न देकर सचिवालयीन प्रशासकीय विभाग में आवेदन दिया, जो उचित नहीं था । दूसरा कारण यह है कि लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ने अधिनियम का अध्ययन नहीं किया है । मौखिक सुनवाई के समय उन्होंने बताया कि उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया गया है । कुछ इसी प्रकार की स्थिति सचिवालयीन अपीलीय अधिकारियों की है । इस अधिनियम का ठीक ढंग से पालन हो सके इसके लिये आवश्यक है कि सचिवालयीन लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण की समग्र व्यवस्था की जाये इसी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था आयोग के अधिकारियों को भी दी जाना आवश्यक है ।

8. इस प्रकरण में अपीलकर्ता ने जिन बिन्दुओं पर जानकारी चाही है उनमें न केवल उपलब्ध जानकारी दी जा सकती है वरन उन बिन्दुओं में जॉच एवं अन्य व्यक्तियों से संकलन का कार्य भी निहित है । अधिनियम की धारा 2(एच) में सूचना की परिभाषा दी गई है, उसमें जो सूचना उपलब्ध होती है वही किसी आवेदक को दी जा सकती है । इसमें किसी प्रकार का संकलन या जॉच का कार्य निहित नहीं है इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव, म0प्र0खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा रजिस्ट्रार म0प्र0राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपीलकर्ता को पंजीकृत डाक से यह पत्र भेजे कि वह उनके कार्यालय में आकर निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत संबंधित रिकार्ड देख सकते हैं । रिकार्ड के अवलोकन के बाद यदि उन्हें किसी विषय पर सूचना चाहिए तो वे सूचना, निर्धारित शुल्क भुगतान करने के बाद, यदि वे अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत नहीं आती हैं तो उन्हें प्रदान की जा सकती है । सूचना देते समय यह भी ध्यान रखें कि इसमें यदि किसी तृतीय पक्ष से संबंधित है तो अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त,

दिनांक 7.4.2006